कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 4245/2019 (514/19) श्रीमती बीना शेखावत बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2020 की पालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–4/रजीगृ/बीना शेखावत/को.के/19–20 दिनांक 03.11.2020 द्वारा राजू चौधरी को राउमावि, महिला बाग, जोधपुर में यथावत रखते हुए श्रीमती बीना शेखावत को उनके स्थानान्तरित विद्यालय राउमावि, सेतरावा, जोधपुर (220250) में व्याख्याता जीव विज्ञान के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया।

श्रीमती बीना शेखावत द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 11720/2020 बीना शेखावत बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य दायर की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 16.12.2020 में याचिकार्थिया को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन पेश करते हुए और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधिनुसार निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय, जोधपुर के निर्णय के क्रम में श्रीमती बीना शेखावत द्वारा स्वयं के पति के डाइट, जोधपुर में कार्यरत होने, स्वयं के थाइराइड एवं गाइनिक बीमारी से पीड़ित होने, स्वयं की पुत्री के जोधपुर में अध्ययनरत होने एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों के आधार पर डाइट कार्यालय, जोधपुर में व्याख्याता के रिक्त पद पर पदस्थापन करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

याचिकार्थिया से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/ परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थिया द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। याचिकार्थी का पदस्थापन जोधपुर जिले में ही किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी लोकसेवक द्वारा अपने इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थिया द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवे।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–4/रजीगृ/बीना शेखावत/को.के/19–20 दिनांकः– 23/12/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ), जयपुर/जोधपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।
10. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्पयुटर अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर